

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्रार्थी :- भंवरलाल पुत्र केसारा

अप्रार्थी :- तहसीलदार

किस्म मुकदमा :- राजस्व प्रापत्र

नम्बर :- 214 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
07.07.23	<p>प्रार्थी उपस्थित।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प लौटोती में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत् पेश किया। प्रार्थी का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा- लौटोती में स्थित कृषि भूमि जमाबन्दी सं. 2077-80 के खाता सं. 565 व 907 में प्रार्थी की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम भंवरु पुत्र केसा दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में भंवरलाल पुत्र केसाराम हैं, प्रार्थी ने अपना अशुद्ध नाम भंवरु पुत्र केसा के स्थान पर भंवरलाल पुत्र केसाराम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया हैं।</p> <p>प्रशासन गांवो के संग अभियान लौटोती में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक निम्बोल व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मौजा- लौटोती में स्थित कृषि भूमि खाता सं. 565 व 907 में संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम भंवरु पुत्र केसा दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में भंवरलाल पुत्र केसाराम दर्ज हैं, प्रार्थी का नाम भंवरु पुत्र केसा के स्थान पर भंवरलाल पुत्र केसाराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की हैं।</p> <p>अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता हैं। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक निम्बोल व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधार पर मौजा- लौटोती में स्थित कृषि भूमि खाता सं. 565 व 907 में प्रार्थी के नाम की त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि भंवरु पुत्र केसा को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक “ भंवरलाल पुत्र केसाराम ” दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरूप भू-अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता हैं, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।</p>	

SDO  
(भू-अभिलेख विभाग)  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कमिश्नर जैतारण (पाली)

